तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विविध प्रार्थना पत्र संख्या 15/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00301) बअनवान गुणेशराम बनाम बशवंतराज इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर. ए. एस.)

गुणेशराम

बनाम

बशवंतराज इत्यादि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील पुनः दर्ज करने बाबत

उपस्थित

1. श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पी.आर. विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक व दो
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्त अप्रार्थी संख्या चार

<u>आदेश</u>

दिनांक 05.03.2025

प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 20/2017 अनवान गुणेशराम बनाम बशंवतराज इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 03 जुलाई 2017 को रिकॉल कर पुनः अपील दर्ज किये ज़ाने का अनुतोष चाहा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। मूल अपील प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी की गई। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश जोधपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2016 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें पक्षकारान् में गांव के मौजिज व्यक्यिों के सामने आपसी समझाईश से राजीनामा हुआ तथा प्रार्थी द्वारा राजीनामा के अनुसार अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विविध प्रार्थना पत्र संख्या 15/2018(जी.सी.एम.एस. नंबर 2018/00301) बअनवान गुणेशराम बनाम बशवंतराज इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को विड्रो कर लिया गया। प्रार्थी के अपील विड्रो करने के पश्चात. प्रत्यर्थीगण राजीनामा से मुकर गये। इस कारण प्रार्थी अपील को पुनः दर्ज करवाना चाहता है एवं गुणावगुण पर निस्तारण करवाना चाहता है।

अंत में प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर कर गुणावगुण पर निस्तारित करने का आदेश फरमावे।

जवाब में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि पूर्व अपील पक्षकारान् द्वारा जरिये राजीनामा से विड्रो की जाकर निस्तारित करवायी गई है। राजीनामा से निस्तारित प्रकरण को पुनः दर्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ अपील पत्रावली संख्या 20/2017 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट गुणेशराम स्वयं ने दिनांक 03 जुलाई 2018 को अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत पक्षकारान् में मौजिज व्यक्तियों में राजीनामा हो जाने से अपील जरिये विड्रो खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अपीलांट की उपस्थिति स्वरुप आदेशिका पर अपीलांट के अंगुष्ठ निशान मौजूद है। अदालत हाजा द्वारा अपीलांट की स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 03 जुलाई 2018 पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा अपनी पूर्व स्वीकारोक्ति को नकारते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो अदालत हाजा की राय में स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है।

लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर